वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 134 /2025 *दिनांक- 11.04.2025*

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 11.04.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना- सिधारी गैर इरादतन हत्या में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 30.03.2025 को वादी फुलमती देवी पत्नी मनरू कुमार ग्रा0 जाफरपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर एक लिखित तहरीर दी कि प्रतिवादीगण द्वारा पुरानी रंजीश को लेकर मारने पीटने व गाली गुप्ता तथा जान से मारने की धमकी देने जिससे वादिनी के पुत्र सन्तोष कुमार के पेट में अंदरूनी चोट लग जाने के सम्बन्ध **में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0146/2025 धारा 115(2)/352/351(2) बी0एन0एस0** बनाम 1.सुरेश पुत्र पुनवासी उम्र करीब 50 वर्ष 2.हरिनन्द उम्र 28 वर्ष 3. लल्लु उम्र 25 वर्ष पुत्रगण सुरेश समस्त साकिन जाफरपुर थाना सिधारी, आजमगढ़ के थाना स्थानीय पर पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 मो0 जावेद सिद्दीकी द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

दौराने इलाज दिनांक 09.04.2024 को मुकदमा उक्त के मजरूब सन्तोष कुमार पुत्र मनरू कुमार ग्रा0 जाफरपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ की आनन्द हास्पिटल में मृत्यु हो गयी , जिससे मुकदमा उक्त में धारा 105 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी/घटना का अनावरण-

दिनांक 11.04.2025 को उ0नि0 मो0 जावेद सिद्दीकी मय हमराह कां0 शैलेन्द्र यादव द्वारा हरबंशपुर तिराहे से मुकदमा उक्त में **वांछित अभियुक्त सुरेश पुत्र पुर्नवासी ग्राम जाफरपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़** उम्र करीब 68 वर्ष को समय 13.10 बजे मुखबिर के सूचना पर हिरासत पुलिस में किया गया।

अनावरण अभियोग का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

1- सुरेश पुत्र पुर्नवासी ग्राम जाफरपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 68 वर्ष

02.थाना- जीयनपुरः किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार-

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 25.03.2025 को वादिनी मुकदमा थाना- जीयनपुर जिला आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि आवेदिका के पति रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर रहते है। घर पर प्रार्थिनी अपने दो लडकी व नाबालिक लड़के के साथ रहती है। विपक्षी अजय प्रताप पुत्र जोगिन्द उर्फ योगेन्द्र प्रताप निवासी टेकनगाढ़ा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष द्वारा वादिनी की नाबालिक लड़की के साथ दिनांक 13.03.2025 को घर में जबरजस्ती छेड़खानी की गयी, मना करने पर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 121/2025 धारा 74/352/351(2) BNS व 7/8 पाक्सो एक्ट** बनाम 1.अजय प्रताप पुत्र जोगिन्दर निवासी टेकनगाढ़ा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 2.जोगिन्दर पुत्र अज्ञात निवासी टेकनगाढ़ा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत होकर विवेचनात्मक कार्यवाही उ0नि0 नीलमणी सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के क्रम में।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

आज दिनांक 11.04.2025 को उ0नि0 नीलमणि सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अजय प्रताप पुत्र जोगिन्दर उर्फ योगेन्द्र प्रताप निवासी टेकनगाढ़ा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को अभियुक्त को ग्राम टेकनगाढ़ा थाना जीयनपुर आजमगढ़ से अभियुक्त के घर से समय 13.30 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया व आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1-अजय प्रताप पुत्र जोगिन्द उर्फ योगेन्द्र प्रताप निवासी टेकनगाढ़ा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0स0 121/2025 धारा 74/352/351(2) BNS व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 नीलमणि सिंह थाना जीयनपुर आजमगढ़

2. का0संदीप सोनकर थाना जीयनपुर आजमगढ़

03.थाना अहरौला: धर्मान्तरण के आरोप में एक अभियुक्त गिरफ्तार-

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 10.04.2025 को आवेदक हैप्पी सिंह पुत्र रामकिरत सिहं निवासी ग्राम अरुषा थाना अहरौला जनपद आजमगढ ने थाना अहरौला पर लिखित तहरीर दी कि आज दिनांक 10.04.2025 को ग्राम अरुषा हरिजन बस्ती मे गुलाब चन्द्र के घर सत्संग चल रहा है। जिसको सुनने के लिए मै व मेरे गांव का अभिषेक वहां पहुंचे तो वहां देखा कि गुलाबचन्द्र पुत्र तिलकधारी एवम् उनकी पत्नी धनदेई द्वारा गांव व आसपास की कुछ महिलाओ व पुरुषो को इकट्ठा कर जिनकी संख्या 15/20 रही होगी को अंधविश्वास भूतप्रेत के नाम पर तथा नौकरी आदि का लालच देकर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, के सम्बन्ध में थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 147/25 धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 व 351(3) बीएनएस बनाम 1. गुलाबचन्द्र पुत्र तिलकधारी 2. धनदेई पत्नी गुलाबचन्द्र 3.15 से 20 अज्ञात व्यक्ति समस्त निवासी अरुषा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह के सुपुर्द हुयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनाँक 11.04.2025 को उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त गुलाबचन्द्र पुत्र तिलकधारी निवासी ग्राम अरूषा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष को को समय करीब 08.50 बजे कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस लिया गया है तथा पुस्तक आदि सामग्री बरामद कर पुलिस कार्यवाही अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग.........

1- मु0अ0सं0 147/25 धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0 व 351(3) BNS थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता.-

1-गुलाबचन्द्र पुत्र तिलकधारी निवासी ग्राम अरूषा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1- उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह , उ0नि0 श्रीप्रकाश मिश्रा ,उ0नि0 नितेश चौबे , हे0का0 हरिश्चन्द भाष्कर , का0 पुष्पेन्द्र सिंह व म0का0 प्रियंका वर्मा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

04.थाना जहानागंजः किशोरी को अगवाकर कर दुष्कर्म करने वाला बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में-

पूर्व की घटना-

दिनांक 11.02.2025 को थाना जहानागंज पर वादी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने थाना जहानागंज पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी एक बाल अपचारी थाना जहानागंज आजमगढ़ द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर कहीं लेकर चले जाने व काफी खोजबीन करने पर भी कुछ जानकारी न मिल पाने के सम्बन्ध में **मु0अ0सं0- 49/25 धारा 137(2), 87 BNS** पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अभिरक्षा का विवरणः- दिनांक 11.04.25 को व0उ0नि0 मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित एक बाल अपचारी को समय करीब 12.05 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

05. थाना अतरौलियाः अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगतर कराना है कि आज दिनाकं 11.04.25 को उ0नि0 संतोष कुमार मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान शव सैय्या अस्पताल मोड़ के पास एक संदिग्ध व्यक्ति आबिद अहमद उर्फ पप्पू पुत्र लुटन अहमद ,निवासी मानपुर चितबडां गांव, थाना चितबडां गांव ,जनपद बलिया व उम्र 26 वर्ष को एक अदद देशी तमंचा 303 बोर व एक अदद जिन्दा मिस कारतूस 303 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0 118/25 धारा 3/25 आर्म्स पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 118/25 धारा 3/25 आर्म्स थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 109/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ ।

2. मु0अ0सं0 118/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ ।

3. मु0अ0सं0 015/18 धारा 3/8 गोवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0, थाना गोसाईगंज ,जनपद अयोध्या ।

4. मु0अ0सं0 218/19 धारा 3/5ए/8 गोवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 ,थाना हलधरपुर, जनपद मऊ ।

06. थाना दीदारगंजः पंचायत भवन से चोरी के माल के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार-

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक- 10.04.2025 को वादी ग्राम प्रधान इन्द्रेश कुमार गुप्ता पुत्र छोटेलाल गुप्ता, ग्राम कालेपुर कठेरवा, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ के लिखित तहरीर पर ग्राम पंचायत भवन कालेपुर कठेरवा के भवन से दिनांक 06.04.2025 को अज्ञात चोरों द्वारा ताला तोड़कर भवन में रखे एक इनवर्टर, दो बैटरी, स्टेपलाइजर, कम्प्यूटर सेट, सी0पी0यू0, यूपीएस मानीटर चुरा ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 84/25 धारा 331(4),305 बीएनएस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत हुआ था। जिसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक- 11.04.2025 को उ0नि0 रुपेश कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण की तलाश पतारसी/सुरागरसी में जैगहा मोड मार्टिनगंज में मौजूद थे कि सूचना मिली कि आपके चोरी के मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्त भांदो मोड के पास इकट्ठा है। किसी साधन का इन्तजार कर रहे हैं यदि जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकता है, इस सूचना पर विश्वास करके उ0नि0 मय हमराह मय मुखबिर को साथ लेकर भादो मोड के करीब पहुंचा और एक बारगी दबिश देकर तीनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो क्रमशः

1. आदर्श उर्फ शेरु राजभर पुत्र साहबलाल ,निवासी कालेपुर,थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

2. अक्षय कुमार राजभर पुत्र रुपेश कुमार राजभर, थाना दीदारगंज,जनपद आजमगढ़।

3. शिवम राजभर पुत्र अरविन्द राजभर निवासी,ग्राम कालेपुर, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ।

अभियुक्तगण को समय करीब 4.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

बरामदगी-

01 इन्वर्टर , 02 बैट्री ट्यूबलर ,01 डेस्कटाप डेल कम्पनी ,01 यूपीएस ,01 सी0पी0यू0 , 01 स्टेपलाईजर।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. प्र0नि0 राकेश कुमार सिंह, थाना दीदारगंज ,जनपद आजमगढ़

2. चौक प्रभारी उ0नि0 श्री रूपेश कुमार सिंह, मय हमराह थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़